भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4131

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

पीएमजेवीके एवं पीएम विकास योजनाओं के अंतर्गत फिरोजाबाद के अल्पसंख्यक कारीगर समुदाय

4131. श्री अक्षय यादव:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कांच और चूड़ी कारीगरों की पर्याप्त आबादी को देखते हुए फिरोजाबाद पर विचार किया गया है और यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी कारीगरों को अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए शुरू की गई 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन' (पीएम विकास) योजना के कौशल विकास और उद्यमिता घटकों के अंतर्गत शामिल किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएम विकास और पीएमजेवीके के अंतर्गत शामिल उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक-बहुल औद्योगिक क्लस्टरों के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने फिरोजाबाद में जारी गैस आपूर्ति संकट का कांच और चूड़ी व्यापार पर निर्भर अल्पसंख्यक कारीगर परिवारों पर पड़े प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या वर्तमान औद्योगिक मंदी से प्रभावित फिरोजाबाद के अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए कोई लक्षित राहत या कौशल-विविधीकरण सहायता देने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) एक सामुदायिक अवसंरचना विकास योजना है, जिसका उद्देश्य चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक परिसंपत्तियों का सृजन करना तथा बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली अवसंरचना का लाभ इन क्षेत्रों में निवास करने वाली संपूर्ण आबादी को प्राप्त होता है, चाहे उनका व्यवसाय या समुदाय कुछ भी हो।

इस योजना के तहत PMJVK के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहाँ 15 किलोमीटर के दायरे में अल्पसंख्यक जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हो। पात्र क्षेत्रों में अवसंरचना विकास की आवश्यकता के आधार पर ऐसे प्रस्तावों की सिफारिश संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (SLC) द्वारा की जाती है।

(ख) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना, केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तीकरण हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता विकास, विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सहायता तथा पारंपरिक कला एवं शिल्प के संरक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। अनुमोदित परियोजनाओं के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के तहत पारंपरिक शिल्पों से जुड़े शिल्पकारों सहित पात्र कारीगरों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तथापि, कांच एवं चूड़ी कारीगरों से संबंधित रोजगार हेतु कोई परियोजना आवंटित नहीं की गई है।

(ग) पीएम विकास एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए लाभार्थियों के आंकड़े अनुरक्षित किए जाते हैं। पीएम विकास योजना के अंतर्गत, योजना के शिक्षा घटक के तहत फिरोजाबाद के 423 अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पीएमजेवीके के अंतर्गत कांच एवं चूड़ी कारीगरों सहित किसी विशिष्ट व्यवसायिक समूह को लक्षित करते हुए परियोजनाओं की स्वीकृति का प्रावधान नहीं है। अतः पीएमजेवीके के अंतर्गत केवल कांच एवं चूड़ी कारीगरों हेतु कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(घ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम विकास योजना के अंतर्गत इस प्रकार का कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ङ) विशेष रूप से फिरोजाबाद में वर्तमान औद्योगिक मंदी से प्रभावित कारीगरों के लिए लक्षित राहत प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, पीएम विकास योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभार्थी कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन, शैक्षिक सहायता तथा आजीविका के स्तर में बढ़ोतरी से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना लोक संवर्धन पर्व (एलएसपी) जैसी पहलों के माध्यम से पारंपरिक कला एवं शिल्प का संरक्षण और संवर्धन करते हुए कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे कारीगरों को पारंपरिक उत्पादों के प्रदर्शन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा बाजार तक बेहतर पहुंच की सुविधा मिलती है।
